प्रपत्र VII

आदेश– पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

...त्र न्यायाधिश, ...सह विशेष उत्पाद कोर्ट न0– 01, गोपालगंज

...रौली ......, सिरियल न0– 1860/24 राज्य बनाम अब्दुल रहीम

अभियुक्त का नाम:– अब्दुल रहीम

2. उम्र– 48 वर्ष

3. पिता का नाम:– अब्दुल रज्जाक

4. सा0– फिरोज्की विदिया थाना– बरौली, जिला– गोपालगंज

5. गिरफ्तारी की तिथि समय और स्थान– थाना परिसर, दिनांक 15/7/24 समय 23:58 बजे

6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकरी द्वारा जॉच रिर्पोट समर्पित करने की तिथि 16/7/24

पुलिस/उत्पाद पदाधिकरी द्वारा समर्पित उपर उल्लेखित जॉच रिर्पोट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकरी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतदद्वारा बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 2016 की धारा 37 के अधीन संज्ञान लेता हुँ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 15/7/24 को अल्कोहल का उपभोग किया था वह थाना परिसर स्थान में पकड़ा गया। अभियुक्त की / चिकित्सीय परीक्षा/ श्वसन विश्लेषण जॉच करायी गई जिससे संपुष्ट हुआ था कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढकर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पुछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्टया संतुष्ट हुँ कि उसके विरूद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 2016 की धारा 37 के अधीन 2000/- (दो हजार रूपये मात्र) रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चुक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

तिथि:– 16/7/24

स्थान– गोपालगंज

ह0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधिश, XIII 16/7/24

सह

अनन्य उत्पाद कोर्ट न0– 01, गोपालगंज